दलीप कौर **बनाम** मनप्रीत कौर आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 17 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/68

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 58 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 40/32 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 1.556 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 23/15 के मुरब्बा नम्बर 28 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थिया के हक 1/5 हिस्से की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया दलीप कौर, इन्द्र सिंह के घर बतौर पत्नी आबाद है। प्रार्थिया जो अप्रार्थीगण के परिवार की वारिस नहीं रही है और प्रतिवादी के परिवार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा। इसलिए हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थिया उक्त सम्पति में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थिया/वादिया प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल अपील के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	